

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 13-02-2025

विषय सूची

पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं

दोषी व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ना

IMEC परियोजना पर भारत-फ्रांस सहयोग

भारत में मुफ्त उपहार (Freebies) संस्कृति

पेरिस AI एक्शन शिखर सम्मेलन

संक्षिप्त समाचार

महर्षि दयानंद सरस्वती

दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्री जल क्षेत्र में 'अंतरिक्ष स्टेशन' का निर्माण

लोक लेखा समिति

एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian Influenza)

भारत के पाम ऑयल आयात में भारी गिरावट

आईस्टीन रिंग

ब्रह्मोस NG

हैदराबाद बर्ड एटलस

पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं

समाचार में


- नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं।

अध्ययन के बारे में

- **कार्यप्रणाली:** शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की आंतरिक परतों की जाँच करने के लिए भूकंपीय तरंगों (भूकंप से उत्पन्न आघात) का उपयोग किया।
 - ये तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रेक्षण करने में सहायता करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे सीटी स्कैन मानव शरीर के लिए कार्य करता है।
- **किए गए अवलोकन:**
 - वैज्ञानिकों का पहले यह मानना था कि पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस एवं कठोर है। नए निष्कर्षों से पता चलता है कि यह सतह के निकट मुलायम है।
 - ठोस आंतरिक कोर अशांत पिघले हुए बाहरी कोर से प्रभावित हो रहा है। यह अन्तर्क्रिया संभवतः इसके घूर्णन को परिवर्तित कर रही है तथा पृथ्वी के दिन की लंबाई को प्रभावित कर रही है।
 - इससे पहले यह माना जाता था कि आंतरिक कोर, मैटल के साथ अंतःक्रिया के कारण स्वतंत्र रूप से घूर्णन करता है। अध्ययन से पता चलता है कि यह घूर्णन अब धीमा हो रहा है।

पृथ्वी की परतों के बारे में

- पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जो आंतरिक और बाह्य निरंतर परिवर्तन से गुजरता रहता है।



- पृथ्वी कई संकेन्द्रित परतों से बनी है:
 - **भूपर्पटी:** सबसे बाहरी परत; सबसे पतला (महाद्वीपों पर 35 किमी., महासागर तल पर 5 किमी.)। इसमें महाद्वीपों पर सिलिका और एल्यूमिना (सियाल) तथा महासागरीय तल पर सिलिका और मैग्नीशियम (सिमा) शामिल हैं।
 - **मैटल:** यह भूपर्पटी के नीचे अवस्थित है, तथा मोहो असंततता से 2,900 किमी. की गहराई तक विस्तृत है।
 - ऊपरी भाग को दुर्बलमंडल/एस्थेनोस्फीयर (400 किमी. तक विस्तृत) कहा जाता है और यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है।
 - भूपर्पटी और ऊपरी मैटल मिलकर स्थलमंडल बनाते हैं जिसकी मोटाई 10-200 किमी. तक होती है।
 - निचला मैटल ठोस है और एस्थेनोस्फीयर से आगे तक फैला हुआ है।
 - **कोर:** यह मैटल के नीचे 2,900 किमी. की गहराई पर स्थित है।
 - कोर का तापमान और दाब अत्यधिक होता है और यह दो भागों से मिलकर बना होता है:
 - **बाह्य कोर:** तरल अवस्था
 - **आंतरिक कोर:** ठोस अवस्था
 - यह मुख्यतः निकल और लोहे से बना होता है, जिसे कभी-कभी निफे परत भी कहा जाता है।
 - बाह्य कोर को अशांत माना जाता है, पहले यह माना जाता था कि यह अशांति मानव समय-सीमा के स्तर पर आंतरिक कोर को प्रभावित नहीं करती।

Source :DTE

दोषी व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ना

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की माँग की गई है।

परिचय

- याचिका में तर्क दिया गया है कि यदि कोई दोषी व्यक्ति जूनियर ग्रेड की सरकारी नौकरी के लिए भी योग्य नहीं है, तो वह कानून निर्माता कैसे बन सकता है?
- उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से फिर जवाब माँगा है।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में चुने गए 543 सांसदों में से 251 (46%) के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं, और 171 (31%) पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
 - आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना मात्र 4.4% थी।

दोषी व्यक्ति की अयोग्यता

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) की धारा 8(3)** में किसी आपराधिक अपराध में दोषी ठहराए गए और कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा पाए व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है।
 - ऐसा व्यक्ति रिहाई की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।
- **जघन्य अपराध:** धारा 8(1) के तहत, बलात्कार, PCR अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता, UAPA के अंतर्गत गैरकानूनी गतिविधियों या भ्रष्टाचार जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को, उनकी सजा की अवधि की परवाह किए बिना, रिहाई के छह वर्ष बाद तक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11** में प्रावधान है कि चुनाव आयोग किसी दोषी व्यक्ति की अयोग्यता हटा सकता है या उसकी अयोग्यता की अवधि कम कर सकता है।

दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के पक्ष में तर्क

- **सत्यनिष्ठा की रक्षा करना:** दोषी ठहराए गए व्यक्ति, विशेषकर गंभीर अपराधों के लिए, अपनी उम्मीदवारी को राजनीतिक प्रणाली की सत्यनिष्ठा के लिए हानिकारक बना देते हैं।
- **सार्वजनिक विश्वास:** दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास कम हो जाएगा।
- **आदर्श मानक:** इससे अवैध या अनैतिक व्यवहार की स्वीकार्यता के बारे में गलत संदेश जा सकता है।
- **सुरक्षा एवं संरक्षा:** हिंसक अपराध या भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्ति नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **सामाजिक न्याय:** दोषी व्यक्तियों को पद पर बने रहने से रोकना सामाजिक न्याय के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में देखा जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपराधिक आचरण के इतिहास वाले लोग सत्ता के ऐसे पदों पर न हों, जहाँ वे अपने लाभ के लिए कानूनों या नीतियों को प्रभावित कर सकें।

विपक्ष में तर्क

- **भागीदारी का अधिकार:** दोषी व्यक्तियों के पास अभी भी उनके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार मौजूद हैं, जिनमें चुनाव लड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी शामिल है।
- **पुनर्वास:** अपनी सजा पूरी कर चुके लोगों में सुधार आ गया होगा और उन्हें सार्वजनिक पद के माध्यम से समाज में योगदान देने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **निर्दोषता की धारणा:** दोषसिद्धि के आधार पर किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना अनुचित हो सकता है, यदि उसकी कानूनी स्थिति बदल जाती है।
- **सत्ता का अतिक्रमण:** दोषी व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाना राज्य द्वारा अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जो नागरिकों की अपने नेता चुनने की स्वतंत्रता को सीमित करता है।

उच्चतम न्यायालय के विगत निर्णय

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामला (2002):** इसमें चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकटीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया।
- **CEC बनाम जन चौकीदार मामला (2013):** इसने माना कि जो व्यक्ति विचाराधीन कैदी हैं, वे 'मतदाता' नहीं रह जाते और इसलिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं।
 - हालाँकि, संसद ने 2013 में इस अधिनियम में संशोधन करके इस निर्णय को उलट दिया, जिससे विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई।
- **लिली थॉमस (2013) मामला:** न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक और राजनीतिक न्याय के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया, जो किसी वर्तमान विधायक को अपील दायर करने पर दोषी ठहराए जाने के बाद भी सदस्य बने रहने की अनुमति देता था।
 - इस निर्णय के बाद, किसी वर्तमान विधायक को दोषसिद्धि के लिए सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

निष्कर्ष

- विधि आयोग ने 1999 और 2014 में तथा चुनाव आयोग ने विभिन्न अवसरों पर राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- उन्होंने सिफारिश की है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए आरोप तय किए गए हों, जिसके लिए पाँच वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो, उन्हें भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- हालाँकि, इसके दुरुपयोग के जोखिम को देखते हुए राजनीतिक दलों के बीच इस सिफारिश पर कोई सामान्य सहमति नहीं बन पाई है।

Source: TH

IMEC परियोजना पर भारत-फ्रांस सहयोग

संदर्भ

- भारत और फ्रांस ने घोषणा की कि वे भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मिलकर कार्य करना जारी रखेंगे।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

- **प्रतिभागी:** दिल्ली G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- **उद्देश्य:** यह गलियारा एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व एवं यूरोप के बीच बेहतर संपर्क और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा तथा गति प्रदान करेगा।

घटक

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा दो अलग-अलग गलियारों से मिलकर बनेगा,
 - **पूर्वी गलियारा** भारत को पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व से जोड़ता है और
 - **उत्तरी गलियारा** पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ता है।
- इस परियोजना में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के माध्यम से अरब प्रायद्वीप में एक रेलवे लाइन का निर्माण शामिल होगा तथा इस गलियारे के दोनों छोर पर भारत एवं यूरोप के लिए शिपिंग संपर्क विकसित किया जाएगा।
- इस गलियारे को पाइपलाइनों के माध्यम से ऊर्जा और ऑप्टिकल फाइबर लिंक के माध्यम से डेटा परिवहन के लिए अधिक विकसित किया जा सकता है।

बंदरगाह जो IMEC का भाग हैं

- **भारत:** मुंद्रा (गुजरात), कांडला (गुजरात) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई) बंदरगाह।
- **यूरोप:** ग्रीस में पिरियस, दक्षिणी इटली में मेसिना, और फ्रांस में मार्सिले।

- **मध्य पूर्व:** बंदरगाहों में संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह, जेबेल अली और अबू धाबी, तथा सऊदी अरब में दम्माम एवं रास अल खैर बंदरगाह शामिल हैं।
- **इजराइल:** हाइफा बंदरगाह।
- **रेलवे लाइन:** यह रेलवे लाइन सऊदी अरब (घुवाइफत एवं हराद) और जॉर्डन से गुजरते हुए संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह को इजरायल के हाइफा बंदरगाह से जोड़ेगी।

IMEC में भारत-फ्रांस साझेदारी

- **यूरोपीय बाजारों तक पहुँच:** फ्रांस का रणनीतिक स्थान भारत को यूरोपीय बाजारों तक पहुँचने का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जिससे व्यापार और निवेश प्रवाह में सुविधा होती है।
- **तकनीकी सहयोग:** बुनियादी ढाँचे के विकास, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में फ्रांस की विशेषज्ञता IMEC के सफल कार्यान्वयन के लिए अमूल्य है।
- **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का मुकाबला करना:** भारत और फ्रांस, दोनों BRI के प्रभावों से चिंतित हैं, इसलिए वे क्षेत्रीय संपर्क का एक वैकल्पिक मॉडल पेश करने के लिए IMEC का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

IMEC के समक्ष बाधा

- **होर्मुज जलडमरूमध्य की भेद्यता:** IMEC संरचना का लगभग संपूर्ण व्यापार होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है और जलडमरूमध्य पर ईरान की निकटता एवं नियंत्रण के कारण व्यवधान का जोखिम बहुत अधिक बना हुआ है।
- **वित्तीय व्यवहार्यता:** इतने व्यापक स्तर की परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करना आवश्यक है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट और मजबूत वित्तीय मॉडल की आवश्यकता है।
- **भू-राजनीतिक संवेदनशीलताएँ:** इस परियोजना में विविध हितों वाले कई हितधारक शामिल हैं। इन

जटिलताओं से निपटना और सामान्य सहमति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह

- भारत और फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता एवं संपर्क को बढ़ावा देने में समान हितों को साझा करते हैं, जिससे वे इस प्रयास में स्वाभाविक साझेदार बन जाते हैं।
- भू-राजनीतिक चिंताओं को भागीदार देशों के भू-राजनीतिक हितों को समायोजित करने तथा संभावित राजनीतिक संवेदनशीलताओं को संबोधित करने में एक नाजुक संतुलन बनाकर प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

Source: TH

भारत में मुफ्त उपहार(Freebies) संस्कृति

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि मुफ्त चीजें गरीबों को निर्भर जीवन जीने पर मजबूर कर देती हैं, तथा उनमें काम ढूँढने की इच्छा समाप्त कर देती हैं।

परिचय

- यह बात चुनावों से पहले सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणाओं के बीच सामने आई है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गरीबों और वंचितों को मुख्यधारा में लाने के लिए उठाए गए कदम, उन्हें मुफ्त सुविधाएँ देने से बेहतर हैं।

मुफ्त उपहार(Freebies) क्या हैं?

- “मुफ्त उपहार” या “रेवड़ी संस्कृति” से तात्पर्य राजनीतिक दलों द्वारा जनता को मुफ्त वस्तुएँ, सेवाएँ या सब्सिडी देने की प्रथा से है, विशेष रूप से चुनाव प्रचार के दौरान, ताकि वोट प्राप्त किया जा सके।
- “रेवड़ी” शब्द का प्रयोग रूपकात्मक रूप से मुफ्त में दी जाने वाली चीजों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह मुफ्त उपहार वितरित करने की छवि को उजागर करता है।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123:** इसमें कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट या उनकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति मतदाताओं को

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, प्रस्ताव या रिश्ता का वादा करता है तो इसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।

मुफ्त उपहारों के पक्ष में तर्क

- **सामाजिक कल्याण:** मुफ्त उपहार आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को तत्काल राहत प्रदान कर सकते हैं, जिससे गरीबी और असमानता को कम करने में सहायता मिलेगी।
- **सशक्तिकरण:** वे हाशिए पर पड़े समूहों, विशेषकर महिलाओं, छात्रों और निम्न आय वाले परिवारों को ऐसे अवसर प्रदान करके सशक्त बना सकते हैं, जो अन्यथा उन्हें उपलब्ध नहीं होते, जैसे निःशुल्क शिक्षा या नकद हस्तांतरण।
- **उपभोग को बढ़ावा:** मुफ्त बिजली या गैस जैसी मुफ्त वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से प्रयोज्य आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे लोगों को अन्य आवश्यकताओं पर अधिक व्यय करने की अनुमति मिलती है, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है।
- **शासन के लिए प्रोत्साहन:** मुफ्त उपहार इस बात का भी मापदंड हो सकते हैं कि सरकार अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह पूरा कर रही है, तथा यह शासन की दक्षता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब भी है।

मुफ्त उपहारों के विरुद्ध तर्क

- **वित्तीय भार:** मुफ्त सुविधाएँ प्रदान करने की लागत से सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है, तथा बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं से संसाधन हट सकते हैं।
- **निर्भरता:** मुफ्त सुविधाएँ राज्य पर निर्भरता उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे आत्मनिर्भरता को हतोत्साहित किया जा सकता है और लोगों को स्थायी अवसरों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय अधिकार की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अकुशलता:** मुफ्त की चीजें प्रायः गरीबी या आर्थिक असमानता के मूल कारणों का समाधान नहीं करतीं, बल्कि विकास और रोजगार के लिए स्थायी अवसर

सृजित करने के बजाय अल्पकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- **लोकलुभावन राजनीति:** मुफ्त उपहारों के वितरण को राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं की भावनाओं में हेरफेर करने एवं वोट सुरक्षित करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जो चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को कमजोर करता है।
- **सतत् नहीं:** मुफ्त उपहारों की दीर्घकालिक स्थिरता संदिग्ध है, क्योंकि सरकारें राजकोषीय स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना या आम जनता पर करों में वृद्धि किए बिना ऐसी योजनाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकती हैं।

मुफ्त उपहारों से संबंधित महत्वपूर्ण उच्चतम न्यायालय के निर्णय:

- **एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम. तमिलनाडु राज्य (2013):** उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन इस बात पर बल दिया कि मुफ्त उपहारों का वितरण जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।
 - इसमें कहा गया है कि केवल एक व्यक्तिगत उम्मीदवार, न कि उसकी पार्टी, मुफ्त उपहार का वादा करके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट आचरण' कर सकता है।
- **मुफ्त उपहारों पर जनहित याचिका (PIL) (2022):** इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने तत्काल कोई निर्णय पारित करने से बचाव किया, लेकिन भारत के चुनाव आयोग को मामले पर गौर करने और सिफारिशें देने को कहा।
 - न्यायालय ने ऐसेवादों की दीर्घकालिक स्थिरता और शासन पर उनके प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

आगे की राह

- **विनियमन:** सरकार मुफ्त उपहारों के वितरण को विनियमित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे केवल

चुनावी वादों के बजाय दीर्घकालिक कल्याण लक्ष्यों के साथ लक्षित और सरेखित हों।

- **चुनाव सुधार:** चुनाव आयोग चुनाव अवधि के दौरान मुफ्त उपहारों के वितरण पर कठोर नियम लागू कर सकता है, अत्यधिक वादों को सीमित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित न करें।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व:** राज्यों और केंद्र सरकार को अधिक राजकोषीय रूप से जिम्मेदार नीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कल्याणकारी योजना वित्तीय रूप से सतत् हो और इससे ऋण का भार न बढ़े।
- **जन जागरूकता:** मुफ्त सुविधाओं के निहितार्थों के बारे में जनता को शिक्षित करना तथा दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने वाली नीतियों की माँग को प्रोत्साहित करना, जैसे कि बुनियादी ढाँचे का विकास एवं रोजगार सृजन, विकासोन्मुख शासन की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

Source: TH

पेरिस AI एक्शन शिखर सम्मेलन

संदर्भ

- PM मोदी ने पेरिस में AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।

पेरिस AI एक्शन शिखर सम्मेलन

- शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु आवश्यकताओं के अनुरूप सतत् AI विकास और ऊर्जा दक्षता पर बल दिया गया।
- **इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:**
 - उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत शृंखला के लिए स्वतंत्र, सुरक्षित और विश्वसनीय AI तक पहुँच प्रदान करना।
 - कम ऊर्जा माँग के साथ पर्यावरण अनुकूल AI विकसित करना।
 - प्रभावी और समावेशी वैश्विक AI शासन सुनिश्चित करना।

- इस कार्यक्रम में पाँच प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया: सार्वजनिक सेवा AI, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास एवं वैश्विक AI शासन।

भारत का परिप्रेक्ष्य और पहल

- **वैश्विक कल्याणके लिए AI:** भारत ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में AI की परिवर्तनकारी क्षमता पर बल दिया, तथा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
- **जिम्मेदार AI विकास के लिए पाँच स्तंभ:** प्रधानमंत्री मोदी ने नैतिक और पारदर्शी AI विकास के लिए पाँच सूत्री एजेंडा प्रस्तावित किया:
 - AI नवाचार के लिए वैश्विक संसाधनों और प्रतिभा को एकत्रित करना।
 - ओपन-सोर्स AI सिस्टम विकसित करना।
 - उच्च गुणवत्ता वाले, निष्पक्ष डेटासेट बनाना।
 - जन-केंद्रित अनुप्रयोगों के लिए AI का लोकतंत्रीकरण।
 - साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं, गलत सूचनाओं और डीपफेक से निपटना।

- **रोजगार छूटने की चिंताओं का समाधान:** भारत ने AI के कारण रोजगार छूटने की चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन तकनीकी प्रगति के कारण कार्य को समाप्त करने के बजाय उसमें बदलाव लाने की ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर बल दिया।
 - भारत ने कौशल एवं पुनः कौशल पहल के महत्त्व पर बल दिया।

भारत के लिए महत्त्व

- **वैश्विक AI परिदृश्य:** यह शिखर सम्मेलन AI क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच हो रहा है, विशेष रूप से पश्चिम और चीन के बीच।
 - यह भारत और फ्रांस को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी सौम्य शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है।

- **रणनीतिक साझेदारी:** यह शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है।

आगे की राह

- भारत अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप अपना स्वयं का लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) विकसित कर रहा है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए सस्ती कंप्यूटिंग शक्ति सुनिश्चित करता है।
- IndiaAI मिशन निम्नलिखित पहलों के माध्यम से AI अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करता है;
 - AI प्रशिक्षण के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) क्लस्टरों तक सब्सिडीयुक्त पहुँच।
 - महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI-संचालित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण।

निष्कर्ष

- पेरिस AI एक्शन शिखर सम्मेलन नैतिक, सतत और समावेशी AI विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- चूंकि AI उद्योगों को नया स्वरूप दे रहा है, इसलिए AI शिक्षा, प्रशासन और नवाचार में भारत का सक्रिय निवेश वैश्विक AI परिदृश्य में इसकी भविष्य की भूमिका निर्धारित करेगा।

भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्य

- **भारत-प्रशांत सहयोग:** उन्होंने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** उन्होंने 2025 में तीसरे भारत-फ्रांस सामरिक अंतरिक्ष वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की और CNES-ISRO सहयोग की सिफारिश की तथा अंतरिक्ष उद्योग संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया।
- **आतंकवाद निरोध एवं सुरक्षा:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के अंतर्गत आतंकवादियों को नामित करने तथा वित्तीय कार्रवाई

कार्य बल (FATF) के मानकों के अनुरूप कार्य करने का आग्रह किया गया।

- भारत के NSG और फ्रांस के GIGN के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत किया गया।
- 2024 के आतंकवाद-रोधी संवाद और नई दिल्ली में मिलिपोल 2025 की तैयारियों की सराहना की गई।
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा सुरक्षा और निम्न-कार्बन परिवर्तन के प्रमुख स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सहयोग की पुष्टि की गई।
- लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (AMRs) पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- GCNEP (भारत) और INSTN (फ्रांस) के बीच समझौतों के माध्यम से परमाणु प्रशिक्षण को मजबूत किया गया।
- **स्वास्थ्य सहयोग:** इंडो-फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब की स्थापना के लिए पेरिसांटे कैम्पस (फ्रांस) और सी-कैप (भारत) के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

Source: BS

संक्षिप्त समाचार

महर्षि दयानंद सरस्वती

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

महर्षि दयानंद सरस्वती

- दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था।
- उन्होंने सामाजिक असमानताओं और रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं का प्रतिकार करने, सामाजिक सुधार एवं शिक्षा

को बढ़ावा देने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की।

- भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दयानंद सरस्वती को 'आधुनिक भारत का निर्माता' कहा था।
- उन्होंने वैदिक शिक्षाओं को बढ़ावा देने और अन्य धर्मों की आलोचना करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश (1875) प्रकाशित किया।
- **मूल विश्वास:** हिंदू धर्म में मूर्तिपूजा और कर्मकांड संबंधी परंपराओं को अस्वीकार किया गया।
 - महिला शिक्षा का समर्थन किया और बाल विवाह एवं छुआछूत का विरोध किया।
 - वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटने, ऐकेश्वरवाद और सरल अनुष्ठानों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
- **सामाजिक प्रभाव:** उन्होंने गौरक्षा की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप 1882 में गौरक्षिणी सभा की स्थापना हुई।
 - उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) स्कूलों की स्थापना की।
 - 1875 में "स्वराज" शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अपनाया।
 - धर्मांतरित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए "शुद्धि" के विचार का समर्थन किया।
- **आर्य समाज का दर्शन:** उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण का समर्थन किया।
 - उनका मानना था कि जाति वंशानुगत नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यक्तिगत प्रतिभा और स्वभाव पर आधारित होनी चाहिए।
 - सामाजिक सुधार के प्रति उनका दृष्टिकोण भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में देखा जा सकता है।

दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्री जल क्षेत्र में 'अंतरिक्ष स्टेशन' का निर्माण

समाचार में


- चीन ने दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्री जल क्षेत्र में 'अंतरिक्ष स्टेशन' के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- यह सुविधा एक शीत रिसाव पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान सुविधा होगी, जो सतह से 2,000 मीटर नीचे स्थित होगी।
- यह सबसे गहरे और तकनीकी रूप से सबसे जटिल जल के नीचे के प्रतिष्ठानों में से एक होगा।
- इसके 2030 तक चालू होने की संभावना है।

दक्षिण चीन सागर का परिचय

- यह विश्व में सामरिक और आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो दक्षिण-पश्चिम में मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर उत्तर-पूर्व में ताइवान जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है।
- यह प्रशांत एवं हिंद महासागर के बीच शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार और जंक्शन है।
- यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम सहित कई देशों से घिरा हुआ है।
- **महत्त्व:** यह क्षेत्र तेल, गैस और मत्स्य पालन सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है तथा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- **विवाद:** दक्षिण चीन सागर विवाद में इस क्षेत्र पर चीन के व्यापक दावे शामिल हैं, जिसका फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान एवं ब्रुनेई जैसे आसियान देश द्वीपों, चट्टानों और संसाधनों पर विरोध करते हैं।
 - ये विवाद नौवहन और हवाई यातायात की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।



- **संरचना:** इसका गठन प्रत्येक वर्ष लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत किया जाता है।
 - ♦ इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं (लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7)।
 - ♦ किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जाता।
- **कार्य:** यह सरकार के राजस्व एवं व्यय का लेखा-परीक्षण करने, विभिन्न सरकारी खातों की जांच करने, तथा CAG द्वारा लेखा-परीक्षित स्वायत्त निकायों के आय और व्यय विवरणों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

Source :TH

एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian Influenza)

संदर्भ

- आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के मामलों की पहचान के मद्देनजर चार क्षेत्रों को जैव सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया है।

एवियन इन्फ्लूएंजा

- मूल मेजबान के आधार पर, इन्फ्लूएंजा ए वायरस को एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू, उपप्रकार A H5N1 और A H9N2), स्वाइन इन्फ्लूएंजा (स्वाइन फ्लू, उपप्रकार A H1N1 और AH3N2) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- एवियन इन्फ्लूएंजा, जिसे सामान्यतः बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है।
 - ♦ यह एक जूनोटिक रोग है, अर्थात् यह पशुओं से मनुष्यों में फैल सकता है।
 - ♦ H5N1 उपप्रकार अतीत में अनेक मानव संक्रमणों और मृत्युओं के लिए जिम्मेदार रहा है।
- **लक्षण:** बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और गंभीर मामलों में सांस लेने में परेशानी

- **भारत की स्थिति:** हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर पर भारत की स्थिति में बदलाव आया है, जिसमें तटस्थता से लेकर फिलीपींस और वियतनाम जैसे दावेदार राज्यों के प्रति अधिक सक्रिय समर्थन की स्थिति शामिल हो गई है।
 - ♦ भारत अपनी पूर्वोन्मुखी नीति के माध्यम से अपने ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है।

Source: AIR

लोक लेखा समिति

समाचार में

- के.सी. की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति वेणुगोपाल ने सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर टोल टैक्स से संबंधित वर्तमान नियमों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

लोक लेखा समिति (PAC)

- **उत्पत्ति:** यह सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1921 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद हुई थी।

- **रोकथाम:** बीमार या मृत पक्षियों के संपर्क से बचें; यह सुनिश्चित करना कि पोल्ट्री उत्पाद अच्छी तरह से पकाए गए हों; और नए मामलों का शीघ्र पता लगाने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली लागू करना।
- एवियन इन्फ्लूएंजा के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं है।

Source: TH

भारत के पाम ऑयल आयात में भारी गिरावट

समाचार में

- जनवरी 2025 में भारत का पाम ऑयल आयात वर्ष-दर-वर्ष 65% गिरकर 13 वर्ष के निचले स्तर पर पहुँच गया।

पाम ऑयल के बारे में

- **परिभाषा:** पाम तेल अफ्रीकी तेल ताड़ के पेड़ (इलाइस गुनीनेसिस) के फल से निकाला जाता है और यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वनस्पति तेलों में से एक है।
- **पाम तेल के प्रकार**
 - **कच्चा पाम तेल (CPO):** फलों के गूदे से निकाला जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने और खाद्य प्रसंस्करण के लिए किया जाता है।
 - **पाम कर्नेल तेल:** बीज से निकाला गया, मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
- **वैश्विक पाम तेल उत्पादन:**
 - इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर वैश्विक आपूर्ति का 85% से अधिक उत्पादन करते हैं।
 - **अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक:** थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी।
- **भारत में पाम तेल उत्पादन**
 - **प्रमुख उत्पादक राज्य:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल (कुल उत्पादन का 98% हिस्सा)।
 - भारत अभी भी घरेलू माँग को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP) (2021 में शुरू किया गया)

- **लक्ष्य:** घरेलू तेल पाम की खेती को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना।
- **लक्ष्य:** 2025-26 तक पाम ऑयल की खेती को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना।
 - किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन एवं सब्सिडी प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

Source: TH

आइंस्टीन रिंग

संदर्भ

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन वलय की खोज की है।

आइंस्टीन रिंग क्या है?

- आइंस्टीन रिंग गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण प्रकाश की एक गोलाकार संरचना है, जिसमें एक विशाल आकाशीय पिंड झुक जाता है और अपने पीछे स्थित अधिक दूर स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश को बड़ा कर देता है।
- गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का एक उदाहरण है।
- **लेंसिंग प्रभाव:** यदि प्रेक्षक, अग्रभूमि लेंस और पृष्ठभूमि स्रोत के बीच संरेखण लगभग सही है, तो पृष्ठभूमि आकाशगंगा से प्रकाश को एक वलय के रूप में फैलाया जा सकता है।
 - हाल ही में देखे गए आइंस्टीन वलय में, आकाशगंगा NGC 6505 ने गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में कार्य किया।

आइंस्टीन रिंग्स का महत्व

- **डार्क मैटर की जाँच:** डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का 85% हिस्सा है, प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता है, जिससे इसका प्रत्यक्ष निरीक्षण करना कठिन हो जाता है।

- आइंस्टीन रिंग्स डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं।
- **दूरस्थ आकाशगंगाओं को समझना:** ये वलय वैज्ञानिकों को उन आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सहायता करते हैं जो अन्यथा देखने में बहुत धुंधली या दूर होतीं।
- **ब्रह्मांडीय विस्तार के बारे में अंतर्दृष्टि:** प्रकाश का झुकाव ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है, क्योंकि आकाशीय पिंडों के बीच का स्थान लगातार बढ़ रहा है।

Source: IE

ब्रह्मोस NG

समाचार में

- ब्रह्मोस NG (अगली पीढ़ी) मिसाइल प्रणाली का विकास भारत की रक्षा क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय पहुँच में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है।

ब्रह्मोस NG के बारे में

- ब्रह्मोस NG भारत-रूस संयुक्त उद्यम के तहत विकसित एक उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
- ब्रह्मोस NG अपने पूर्ववर्ती संस्करण के समान ही 290 किमी. की रेंज और मैक 3.5 की गति बनाए रखेगी।
- यह हल्का (1.6 टन बनाम 3 टन) और छोटा (6 मीटर बनाम 9 मीटर) है, जिससे यह सुखोई-30 MKI और तेजस लड़ाकू विमान सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए अधिक अनुकूल है।
- इसमें स्वनिर्मित AESA रडार की सुविधा होगी।
- पहली परीक्षण उड़ान अगले वर्ष (2025-26) तक होने की संभावना है।

सामरिक महत्त्व एवं निर्यात क्षमता

- भारत ने 2022 में हस्ताक्षरित 375 मिलियन डॉलर के सौदे के अंतर्गत 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का प्रथम बैच वितरित किया।
- इंडोनेशिया के साथ 450 मिलियन डॉलर के सौदे के लिए बातचीत आगे बढ़ी।
- अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कई देशों ने ब्रह्मोस NG हासिल करने में रुचि दिखाई है।

Source: IE

हैदराबाद बर्ड एटलस

संदर्भ

- हैदराबाद एक पक्षी एटलस विकसित कर रहा है।

परिचय

- यह एक तीन वर्षीय परियोजना है और प्रवासी पक्षियों के बारे में जानने के लिए इसे फरवरी (शीतकालीन) एवं जुलाई (ग्रीष्मकालीन) में आयोजित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** शहर में पक्षियों के वितरण को समझना, उनकी जनसंख्या में परिवर्तन की निगरानी करना, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान करना और भूमि उपयोग योजना के बारे में अधिकारियों को सूचित करना।
- पुणे, मैसूर और कोयम्बटूर भारत के कुछ ऐसे शहर हैं, जिन्होंने पक्षी एटलस विकसित किए हैं।
- अब तक 180 क्षेत्रों में से 51 का सर्वेक्षण किया गया है और 170 पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है।

Source: TH

